आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद संख्या 210/13–14

देवराज यादव वनाम् तेतरी देवी एवं अन्य

आदेश

आवेदक देवराज यादव पिता स्व० सौदागर यादव निवासी ग्राम खटांगी टोला रेपुरा थाना कुर्था अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर आवेदक के कब्जा में खलल पैदा करने से विपक्षीगण को रोकन का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम खटांगी टोला रेपुरा थाना कुर्था जिला अरवल मे अवस्थित है,निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
533/97	2234/2237	$40\frac{1}{2}$ डी०	उतर–छौर दक्षिण– राजदेव यादव पूरब– दुखहरण यादव पश्चिम– दिलचंद यादव

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) वादी छह भाई थे और एक साथ भूमि बेचकर वादी सभी भाईयों ने अपने अपने नाम से भूमि कय किया।

(2) प्रतिवादी नं० 02 एवं 03 के पिता एवं (1) पति स्व० देवशरण यादव वादी के एक भाई थे।

(3) वादी एवं प्रतिवादी (1) के पति स्व०देवशरण यादव ने एक ही तिथि 16.01.86 को विवादित खाता प्लॉट में कमशः पौने छब्बीस डी० एवं 08 कट्टा भूमि कय किया था,परन्तु भूलवश वादी के वसिका में प्लॉट नं० 2234/2237 के बदले प्लॉट नं० 2236/1555 अंकित हो गया था। यधपि चौहद्दी के मुताबिक दोंनों भाई भूमि पर जोत कोड़ आबाद करते आ रहे है। लेकिन कुछ दिन पूर्व मुकदमा के बाद भूमि से बेदखल कर दिये है।

(4) वर्ष 1991 में भाईयों के बीच पंचायती हुई थी जिसपर दोनों ने सहमति ब्यक्त किया और जो चौहद्दी अंकित है उसी के हिसाब से जोत कोड़ आबाद करते आ रहे है और आगे भी उसी ढ़ग से रहेगा।

(5) वर्तमान फसल लगाने के कम प्रतिवादीगण विवाद पैदा कर दिये है।

(6) प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है।

(7) उपरोक्त विवाद को लेकर ग्राम पंचायत सरपंच ने भी वाद संख्या 51/2013 में फैसला वादी के पक्ष में दिया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगी गयी अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(1) प्रश्नगत् भूमि विपक्षी तेतरी देवी के पति देवशरण यादव अपनी निजी आय से वर्ष 1986 में वजरीय निबंधित वसिका संख्या 391 द्वारा खरीद किये है तथा खरीदगी उपरान्त दखल कब्जा में रहते हुए अपने पीछे अपनी पत्नी एवं दो पुत्री विपक्षी संख्या 02 एवं 03 को छोड़कर स्वर्गवास कर गये जिसके बाद विपक्षी भूमि पर लगायत दखल कब्जा में चले आ रहे है।

(2) विवादित भूमि का दाखिल खारिज देवशरण यादव के नाम हो चुका है तथा भूमि का राजस्व रसीद पूर्व में देवशरण यादव एवं वर्तमान में विपक्षीगण के द्वारा किया जा रहा है।

(3) देवशरण यादव एवं उनके भाईयों के बीच लगभग 40 वर्ष पूर्व ही मौखिक खानगी तौर पर बॅटवारा हो गयी थी तथा प्रश्नगत् भूमि विपक्षी तेतरी देवी के पति देवशरण यादव द्वारा बॅटवारा के बाद अलग से अपनी आय से खरीद की गई थी।

(4) विवादित भूमि को लेकर उभय पक्ष के बीच कोई पंचायती नही हुई है ना ही कोई कागजात उभय पक्ष के बीच तैयार किया गया है। अगर कोई दस्तावेज आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया जाता है तो वह बनावटी वो मेली दस्तावेज होगा जिसका सरजमीन पर कभी भी उपयोग में नहीं लाया गया है।

(5) आवेदक के वसिका को देखने से भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि एवं केवाला में वर्णित भूमि में प्लॉट नं० एवं रकवा में अंतर है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक का कहना है कि उन्होनें एवं विपक्षी संख्या 01 के पति देवशरण यादव ने एक ही तिथि 16.01.1986 को विवादित भूमि में कमशः पौने छब्बीस डी० एवं 8 कट्टा भूमि खरीदा था परन्तु आवेदक के वसिका में भूलवश प्लॉट नं० 2234/2237 के बदले 2236/1555 अंकित हो गया। आवेदक के द्वारा विवादित भूमि पर दावा कर दिया गया परन्तु उनके द्वारा यह नहीं बताया गया कि विपक्षी की क्रय की गई भूमि कहॉ है और किसके कब्जा में है। साथ ही आवेदक के केवाला में दर्ज चौहद्दी (प्लॉट नं० 2236/1555) एवं विपक्षी के केवाला में दर्ज विवादित भूमि का चौहद्दी भी भिन्न-भिन्न है और विवादित भूमि विपक्षी के कब्जा में है जिसको राजस्व रसीद भी उनके पति के नाम कट रहा है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक के अनुतोष को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है,वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।